न्यायालय - जिला कलक्टर नागौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियंल्स जज हनीफ स्या v/s इंसाफ अली स्थगन प्रार्थना पत्र - 67/16	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
19.10.20	वकुलाय उप0। आदेशिका दिनांक 16.8.16 की अवधि आगामी पेशी 19.11.2020 तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली दिनांक 19.11.2020 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
19/11/20	वकुलाय उप0। श्रीमान पी0 साहब राजकीय दौरे पर है। पत्रावली दिनांक 14/12/2020 को पेश हो।	
25-11-20	पत्रावली पेश हुई। डॉ0 श्री वेकटेश्वरन अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा अपने अ0शा0 पत्र कमांक–राम/न्याय/स्था/प–32/07/2020/11826 दिनांक 12.11.2020 से राजस्व मण्डल अजमे को नागौर जिले के राजस्व न्यायालयों से तलबीदा रिकार्ड की जीसीएमएस पोर्टल से निकाली गई सूची प्रेषित की, जिसके संबंध में मूल पत्र पत्रावली संख्या–एफ–40( )कोर्ट/रा.म.अ. व अन्य/रिकार्ड/सूचना/ 2020 पर Putup कर सभी राजस्व न्यायालयों को अ0शा0 में दिये गये निर्देशों की पालना हेतु लिखा जा चुका है। उक्त सूची में न्यायालय हाजा के 36 प्रकण की पत्रावलियां राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जानी शेष बताई गई है। उक्त 36 प्रकरणों के संबंध में प्रकरणों के विवरण की सूची जीसीएमएस पोर्टल से न्यायालय हाजा द्वारा निकाली गई, जिसमें 37 प्रकरण बताये गये है एवं उक्त सूची के कम संख्या ~~36~~ 37 के अनुसार राजस्व मण्डल अजमेर के विचाराधीन निगरानी संख्या–3374/2020 जितेन्द्र बनाम हनीफ स्या तारीख पेशी 10.03.2021 प्रकरण के संबंध में यह पत्रावली चाही गई है। यद्यपि इस पत्रावली की तलबी हेतु राजस्व मण्डल अजमेर से पूर्व में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, चूँकि उक्त अ0शा0 पत्र दिनांक 12.11.2020 के अनुसार यह पत्रावली मा0 राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जानी है। अतः यह मूल पत्रावली निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाई जावे एवं पृथक से यादास्त पत्रावली खोली जाकर यादास्त पत्रावली मुकर्ररा दिनांक 14.12.2020 को पेश हो। (डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर,नागौर	
02/09/21	वकुलाय उपस्थित। न्यायालय हाजा की राजस्व अपील संख्या–81/2016 एवं स्थगन [illegible] हनीफ स्या बनाम इंसाफ अली प्रार्थना पत्र संख्या–67/2016 [illegible] आदि के प्रकरणों में मूल पत्रावली एवं निर्णय की प्रति [illegible] दिनांक 06.07.2021 [illegible] संबंध में पृथक से लिखी गई [illegible] कार्यालय [illegible] एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित मूल [illegible] 2016 हनीफ स्या 2021/715 दिनांक 07.07.2021 मूल अपील संख्या [illegible] में शा0मि0 किया गया है, जिसकी छाया प्रति बनाम इंसाफ अली पत्रावली में शा0मि0 है। हस्तगत स्थगन पत्रावली में शा0मि0 है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक–3976 दिनांक 22.06.2021 के साथ न्यायालय हाजा की राजस्व अपील संख्या–81/2016 हनीफ स्या बनाम इंसाफ अली के संबंध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.01.2021 की प्रमाणित प्रति तथा न्यायालय हाजा की हस्तगत स्थगन प्रा0पत्र संख्या 67/2016 हनीफ स्या बनाम इंसाफ अली की मूल पत्रावली प्राप्त हुई है। इसके पश्चात राजस्व मण्डल अजमेर के पत्रांक–6419 दिनांक 12.08.2021 के साथ न्यायालय हाजा के हस्तगत	प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं। Not Pressed मो. हनीफ (आवेदक/प्रार्थी) (वकील प्रार्थी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.11.26 18:35:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर
हनीफ स्या v/s इंसाफ अली
स्थगन प्रार्थना पत्र – 67/16

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
02/09/21 (लगातार)	स्थगन प्रा0पत्र संख्या–67/2016 हनीफ स्या बनाम इंसाफ अली के संबंध में राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2021 की प्रमाणित प्रति तथा न्यायालय हाजा की राजस्व अपील संख्या 81/2016 हनीफ स्या बनाम इंसाफ अली की मूल पत्रावली प्राप्त हुई है। अतः हस्तगत स्थनग प्रार्थना पत्र के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2021 की प्रमाणित प्रति तथा राजस्व मण्डल अजमेर के उपर्युक्तानुसार दोनों मूल पत्र दिनांक 22.06.2021 एवं दिनांक 12.08.2021 राजस्व अपील संख्या 81/2016 हनीफ स्या बनाम इंसाफ अली में शा0मि0 है, उक्त दोनों पत्रों की छाया प्रतियां हस्तगत स्थगन पत्रावली में शा0मि0 है। यादास्त पत्रावली इस पत्रावली के साथ नत्थी हो। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है एवं **Not Press** किया है। अतः प्रार्थी हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र में आगे कोई कार्यवाही करना नहीं चाहता एवं प्रार्थी द्वारा **Not Press** करने के आधार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र ... फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी) जिला कलक्टर नागौर Signature Not Verified Digitally signed by Jitendra Kumar Soni Date: 2021.11.26 18:35:56 IST Reason: SelfAttested	